

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेशा हिल्स भोपाल

क्र. 20274/22/वि-12/ग्रासप्रा/संधा./17

भोपाल दिनांक 6/09/2017

प्रति

महाप्रबंधक, (समस्त)

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

परियोजना क्रियान्वयन, (म.प्र.)

विषय :- निर्माण पश्चात् पांच वर्षीय संधारण अवधि हेतु संधारण दरों के संबंध में।

—0—

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.09.2017 को एस.एस.आर. पुनरीक्षित करने एवं भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2017 को जी.एस.टी. लागू करने के फलस्वरूप निर्माण के उपरांत पांच वर्षीय परफारमेंस गारंटी अवधि में संधारण के लिये ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान हेतु दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी एस.एस.आर. के आधार पर संशोधन किया गया है जिनके अनुसार निम्न दरें लागू की जाती हैं :-

Year	7.5 meter wide road		6 meter wide road		CC pavement (All width) (Rs per km.)
	Traffic Intensity T1 to T4 (Rs per km.)	Traffic Intensity T5 and above (Rs per km.)	Traffic Intensity T1 to T4 (Rs per km.)	Traffic Intensity T5 and above (Rs per km.)	
I	33000	35900	30500.00	32800	24500
II	38800	42900	35800.00	39200	24500
III	57100	64800	50400.00	56700	24500
IV	65500	74900	57800.00	65700	24500
V	74000	85100	65300.00	74700	24500
Total	268400	303600	239800.00	269100	122500

ठेकेदारों को उपरोक्त दरों पर भुगतान के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा अनुबंध शर्तों के अनुसार जी.एस.टी. का भुगतान किया जायेगा।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

(एम.के. गुप्ता)

प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

भोपाल

भोपाल दिनांक 6/09/2017

पृ. क्र. 20275 /22/वि-12/ग्रासप्रा/संधा./17
प्रतिलिपि :-

- मुख्य महाप्रबंधक (समस्त) एवं वित्त म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर एवं रीवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- महाप्रबंधक (समस्त) मुख्यालय, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

भोपाल